



# HAMIRPUR POLICE



## METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

"प्रभावी पैरवी कर हत्या के अभियुक्तगण को **आजीवन कारावास व ₹40,000 के अर्थदण्ड** की सजा दिलाई गई।



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे **ऑपरेशन कन्विकशन अभियान** के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना बिवांर में पंजीकृत **मु0अ0सं0 270/2011, धारा- 302,34 भा0द0सं0** में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में **मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनपद हमीरपुर** द्वारा **अभियुक्त 1.चुन्नू पुत्र पूरन** निवासी गौरी कलां थाना जसपुरा जिला बांदा **2.राकेश पुत्र बब्बू** निवासी कुसमरा थाना कुरारा जनपद हमीरपुर को **आजीवन कारावास व ₹40,000 के अर्थदंड** से दण्डित किया गया।



DGC  
श्री राजेश कुमार शुक्ला



विवेचक- एसओ श्री  
रामकेवल पटेल



पैरोकार- बिवांर  
का0 प्रेम सिंह